

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अर्न्तगत
खूंट-काकडीघाट मोटर मार्ग का अनुसूचित बाहुल्य ग्राम
सिद्धपुर तक विस्तार लम्बाई 2.375 कि०मी०

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दि० 26.02.2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दीवान राम वन दरोगा शीतलाखेत अनुभाग राजस्व विभाग की ओर से श्री हयात गिरी गोस्वामी राजस्व उप निरीक्षक सैंज व प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री श्री गोविन्द बल्लभ भट्ट, अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि शून्य है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.882 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है० एवं नाप भूमि 1.256 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 2 गाँव व 325 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 3 वृक्षों व नाप भूमि पर 12 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

निरीक्षक,
अल्मोड़ा

अधिसूची अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

राजस्व उप निरीक्षक,
सैंज - डोवा,
कहसील व चिन्ता-अल्मोड़ा

वन वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन वन अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

उप निरीक्षक,
अल्मोड़ा